

किम्बर्ली प्रोसेस

भारत में आयात/निर्यात प्राधिकारण

रिफ्रेन्स: जीजेसी/केपी-परिपत्र/63/2014-15/1772

दिनाँक: मार्च 11, 2015

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

यह नोट किया जाना चाहिए कि 30 मार्च 2015 तक किम्बर्ली प्रोसेस के पंजीकृत सदस्यों को हर साल एक महीने का ग्रेस पीरियड (1 अप्रैल से 30 अप्रैल) दिया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता के नवीनीकरण का कार्य दिया जाता है एवं उस हिसाब से उनसे 500/- रूपए संसाधन शुल्क और सेवा कर लिया जाता है।

हालांकि 1 मई 2015 से, जिसने भी 30 अप्रैल 2015 तक अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं किया है या बैंक में सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है उन्हें गैर सदस्य समझा जायगा और उनसे 1 अप्रैल 2015 से 30 अप्रैल 2015 या आवेदन पत्र की तिथि तक, जो भी बाद में हो, में किये गये सभी लेन-देन के कार्यों पर संसाधन शुल्क का अंतर लिया जायगा। गैर सदस्यों के लिए प्रचलित केपी संसाधन शुल्क 1500/- रूपए और 12.36% सेवा कर है।

ये नोट किया जाना चाहिए की केपी शुल्क के अंतर की अदायगी तक या सबूत के तौर पर 30 अप्रैल 2015 को या उससे पहले सदस्यता शुल्क का बैंक में भुगतान का चालान दिखाने तक केपी निर्यात/आयात के आवेदन पत्र रोक लिए जायंगे।

अगर सदस्यता नवीनीकरण शुल्क 1 मई 2015 या उसके बाद अदा की गई है, तो सदस्य से 1 अप्रैल 2015 से बैंक में सदस्यता शुल्क की अदायगी तक किये गए सभी लेन-देन पर संसाधन शुल्क का अंतर लिया जायगा।

कृपया सदस्यता का नवीनीकरण करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने और 30 अप्रैल 2015 तक समय पर सदस्यता का नवीनीकरण करने के लिए ऊपर दी गई जानकारी का ध्यान रखें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप परिषद के केपी विभाग से kp@gjepcindia.com पर ईमेल या टेलीफोन से 022-26544711/712/713/714 पर संपर्क करें।

सब्यसची रे

कार्यकारी निर्देशक

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: kp@gjepcindia.com/ho@gjepcindia.com वेबसाईट:http://www.gjepc.org